न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 311 / 2016

उनवान

1. केशा पिता चतरा रावत निवासी निवासी भादसी पटवार हल्का भासदी तहसील बदनोर जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट / वादी

बनाम

1. जिला वन अधिकारी, जिला वन कार्यालय, भीलवाडा
2. रेंजर, रेंज कार्यालय, वन विभाग, बदनोर, तहसील बदनोर जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बदनोर तहसील बदनोर जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण / प्रतिवादीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, बदनोर के
प्रकरण संख्या 248 / 2015 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 9.7.2015

अभिभाषक : 1. श्री मुनीर गनी, अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री ओम प्रकाश सोनी, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण

आदेश

दिनांक 4.07.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी / वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम एवं धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 151 जाब्ता दीवानी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी को मौजा भादसी पटवार हल्का भादसी में आराजी नम्बर 2178/424 रकबा 5 बीघा भूमि आवंटन हुई । जो खाता संख्या 379 संवत 2036 से 2039 से जानी जाती है व इन्तकाल नम्बर 398 से गैर खातेदारी अधिकार से वादी को प्राप्त हुई। उक्त भूमि पर पैमुदगी के समय से हीं वादी का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। वादी ने उक्त 5 बीघा भूमि पर चारों तरफ पत्थरों की कोट लगाकर एक लाख रूपये लगाकर पथरीली भमि को काबिलकाश्त बनाया है। हाल सेटलमेण्ट में वादी की 5 बीघा भूमि के रकबे को बिना कोई आदेश व डिक्री के कब्जे की पुष्टि के बगैर उक्त रकबे को खाता संख्या 459 रकबा 1.11 हेक्टर आराजी नम्बर 1815 रकबा चालू जमाबंदी संवत 2057 से 2060 में वन विभाग के नाम पर कर दी जबकि मौके पर वादी का कब्जा है और 1.08 हेक्टर भूमि का कब्जानुसार वादी इन्द्राज दुरूस्ती कराने का अधिकारी है। हाल सेटलमेण्ट में खाता संख्या 51 के आराजी नम्बर 1825 रकबा 0.10 हेक्टेयर, 1827 रकबा 0.11 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 1832 रकबा 0.14 हेक्टेयर भूमि, आराजी नम्बर 1837 रकबा 0.69 हेक्टेयर, कुल किता 4 रकबा 1.04 हेक्टर भूमि वादी के खाते रकबा दर्ज किया जबकि वादी का उक्त रकबे पर न तो कब्जा है और न ही खातेदारी कब्जे अनुसार वादी चाहता है। जमाबंदी संवत 2061 से 2064 में यह अंकन वादी के नाम किया गया है जो विधि एवं प्रावधानों से हटकर बिना किसी अधिकार के भू प्रबन्ध विभाग ने किया है। वादी को आराजी नम्बर 424 मीन में जो आवंटन हुआ वह बडा नम्बर था। वक्त आवंटन पटवार हल्का ने वादी को जहॉ पर बैठाया वहीं पर वादी काबिजकाश्त है। वादी कब्जे अनुसार 1.08 हेक्टेयर भूमि पर काबिज है। जो वर्तमान में आराजी नम्बर 1815 रकबा 1.11 हेक्टेर है जो भूमि वन

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

विभाग के नाम दर्ज है। उसमें से 0.03 हेक्टर कम करते हुए सम्पूर्ण रकबे दुरूस्ती कर वन विभाग का नाम हटाया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण निर्णय एवं डिक्री दिनांक 9.7.2015 द्वारा वादी का वाद पत्र खारिज किया गया। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी के योग्य अधिक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, गंगापुर प्रभारी अधिकारी बदनोर थे द्वारा केम्प लोक अदालत भादसी मे निर्णय पारित किया था परन्तु पत्रावली प्राप्त नहीं होने से अपीलाधीन निर्णय की प्रति अपीलार्थी को यथासमय नहीं मिल सकी थी। पत्रावली प्राप्त होने पर अपीलाधीन निर्णय की प्रति प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन मामले में तनकियात कायम नहीं की गई थी एवं न ही वादी की कोई साक्ष्य ली गई थी। अपीलार्थी को बिना सुनवाई का समुचित अवसर दिये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी/वादी को मौजा भादसी की आराजी नम्बर 2178/424 रकबा 5 बीघा भूमि आवंटन हुई । जो खाता संख्या 379 संवत 2036 से 2039 से जानी जाती है व इन्तकाल नम्बर 398 से गैर खातेदारी अधिकार से वादी को

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्राप्त हुई। उक्त भूमि पर पैमुदगी के समय से ही वादी का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। वादी ने उक्त 5 बीघा भूमि पर चारों तरफ पत्थरों की कोट बनाई है । भू प्रबन्ध के दौरान भू प्रबन्ध विभाग ने वादी की 5 बीघा भूमि के रकबे को बिना कोई आदेश व डिक्री के कब्जे की पुष्टि के बगैर उक्त रकबे को खाता संख्या 459 रकबा 1.11 हेक्टर आराजी नम्बर 1815 रकबा चालू जमाबंदी संवत 2057 से 2060 में वन विभाग के नाम पर कर दी जबकि मौके पर वादी का कब्जा है और 1.08 हेक्टर भूमि का कब्जानुसार वादी इन्द्राज दुरूस्ती कराने का अधिकारी है। हाल सेटलमेण्ट में खाता संख्या 51 के आराजी नम्बर 1825 रकबा 0.10 हेक्टेयर, 1827 रकबा 0.11 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 1832 रकबा 0.14 हेक्टेयर भूमि, आराजी नम्बर 1837 रकबा 0.69 हेक्टेयर, कुल किता 4 रकबा 1.04 हेक्टर भूमि वादी के खाते रकबा दर्ज किया जबकि वादी का उक्त रकबे पर न तो कब्जा है और न ही खातेदारी कब्जे अनुसार वादी चाहता है। जमाबंदी संवत 2061 से 2064 में यह अंकन वादी के नाम किया गया है जो विधि एवं प्रावधानों से हटकर बिना किसी अधिकार के भू प्रबन्ध विभाग ने किया है। वादी को आराजी नम्बर 424 मीन में जो आवंटन हुआ वह बडा नम्बर था। वक्त आवंटन पटवार हल्का ने वादी को जहॉ पर बैठाया वहीं पर वादी काबिजकाश्त है। वादी कब्जे अनुसार 1.08 हेक्टेयर भूमि पर काबिज है। जो वर्तमान में आराजी नम्बर 1815 रकबा 1.11 हेक्टेर है जो भूमि वन विभाग के नाम दर्ज है। उसमें से 0.03 हेक्टर कम करते हुए 1.08 हेक्टेयर भूमि जिस पर अपीलार्थी का कब्जाकाश्त है उक्त अपीलार्थी का रकबा मर्ज कर भूमि वन विभाग के नाम दर्ज कर दी है अतः वादग्रस्त रकबा 1.08 हेक्टेयर भूमि जो कि वन विभाग के नाम दर्ज है जिसमें से वन विभाग का

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नाम हटाया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड किया जावे।

6. प्रत्यर्थीगण की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थी को जो भूमि आवंटित की गई उस भूमि पर काबिज नहीं होकर वह वर्तमान में जो भूमि प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम पर दर्ज है उस पर काबिज होने का कथन करता है । जबकि उक्त भूमि पर उसका कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है। वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

7. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भावी एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

8. अपीलार्थी का निवेदन है कि वादग्रस्त खाता संख्या 459 रकबा 1.11 हेक्टर आराजी नम्बर 1815 रकबा चालू जमाबंदी संवत 2057 से 2060 में वन विभाग के नाम पर कर दी जबकि मौके पर वादी का कब्जा है और 1.08 हेक्टर भूमि का कब्जानुसार वादी इन्द्राज दुरूस्ती कराने का अधिकारी है एवं यह भी कथन किया है कि आवंटन के समय से अपीलार्थी वादी इसी भूमि पर काबिज है। इस सबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी/वादी को ग्राम भादसी में आराजी नम्बर 2178/424 रकबा 5 बीघा भूमि

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आवंटन हुई । जो इन्तकाल नम्बर 398 से गैर खातेदारी अधिकार से वादी को प्राप्त हुई। उक्त भूमि पर पैमुदगी के समय से ही वादी का कब्जाकाश्त जिसकी पुष्टि जमाबंदी संवत 2036 से 2039 से होती है। अपीलार्थी यह साबित करने में असफल रहा है कि अपीलार्थी/वादी को जो भूमि आवंटित की गई थी उसके नये नम्बर क्या बने हैं। वादग्रस्त भूमि पर कब्जे बाबत अपीलार्थी/वादी ने कोई रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है। जबकि वादग्रस्त आराजी वर्तमान में प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। जिसे अपीलार्थी/वादी अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

9. अपीलार्थी/वादी वादग्रस्त भूमि पर काबिज हो इस बाबत कोई दस्तावेजी रेकार्ड से साबित नहीं कर पाया है जबकि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। अपीलार्थी/वादी को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान किया गया था। कैम्प दिनांक 9.7.2015 में अपीलार्थी की उपस्थिति दर्ज होकर साक्ष्य का अवसर भी दिया गया है। अपीलार्थी ने न्यायालय हाजा में भी ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी/वादी का कब्जा साबित होता हो। चूंकि वादी अपने वाद को पर्याप्त साक्ष्य सबूत से साबित नहीं कर सका था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद विचारण जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

10. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 9.7.2015 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब की जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

11. निर्णय आज दिनांक 4.7.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

4/7/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 311 / 2016

उनवान

1. केशा पिता चतरा रावत निवासी निवासी भादसी पटवार हल्का भासदी तहसील बदनोर जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट / वादी

बनाम

1. जिला वन अधिकारी, जिला वन कार्यालय, भीलवाडा
2. रेंजर, रेंज कार्यालय, वन विभाग, बदनोर, तहसील बदनोर जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बदनोर तहसील बदनोर जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण / प्रतिवादीगण

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, बदनोर के प्रकरण संख्या 248 / 2015 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 9.7.2015

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आरटीए / 311 / 2016 मे **उपखण्ड अधिकारी, बदनोर** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित ड़िक्री जारी की जाती हैं:–

यह अपील तारीख 4.7.2018 को अपीलाण्ट की ओर से श्री मुनीर गनी वकील एवं प्रत्यर्थीगण की ओर से श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता की उपस्थिति मे दिनांक 4.7.2018 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 9.7.2015 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्धारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्धारा दिये जाने है।

आज दिनांक 4.7.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

4/7/18

(निमिषा गुप्ता)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट	रेस्पोडेण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन	1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील	3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस	4. प्लीडर की फीस